

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) सीकर

reliefsectionsikar@gmail.com

क्रमांक:-सहायता/2025/ राजकाज

दिनांक:- यथा हस्ताक्षर

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक: एफ.8(8)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज/18916854 दिनांक 19.11.2025 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 196/2025-26 से स्वीकृत किये गये निम्न कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है-

तहसील-धोद

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यकारी एजेन्सी	रोड का वर्गीकरण	कुल किमी	एस.डी. आर.एफ. नोम्स अनुसार मरम्मत हेतु राशि लाखों में
1	कोटपुतली से लोसल वाया सीकर-धोद	अधिशायी अभियन्ता	एसएच	9.00	3.00
2	ओसियां से सीकर वाया पंचाला सिध, खीवसर, खोदवा, लालाप, गोआंव बड़ा, खाटू बड़ा, खाटू खुर्द, टोंगीना, मोलासर, धनकोली, लोसल छोटी, धोद	सा.नि.वि. खण्ड	एसएच	2.20	2.20
3	सीकर-टाटनवा-बिजासी-शाहपुरा-दयालपुरा-डीडवाना-बरंगना-आकोड़ा-पुष्कर	द्वितीय-सीकर	एमडीआर	18.00	18.00
4	सीकर-टाटनवा-बिजासी-शाहपुरा-दयालपुरा-डीडवाना-बरंगना-आकोड़ा-पुष्कर		एमडीआर	18.00	18.00
5	भढाढर (छ०.52) से जीणमाताजी (००.83) वाया सांवलोदा पुरोहितान, फागलवा, दुगोली, नागवा, ढाणी सवाईराम		एमडीआर	13.80	13.80
6	मुंडवाडा एसएच-8ए से लक्ष्मणगढ़ एनएच-52 वाया पेवा धोद जरसुपुरा बिन्जासी		एमडीआर	13.50	13.50
7	मंडावा रामगढ़ रोलसाहबसर रोसावा पाटोदा बठोट फागलवा एसएच-20 सड़क		एमडीआर	2.00	2.00
8	सेवद छोटी से चंदेली का बास		वीआर	4.70	2.82
9	मांडेता से अर्जुनपुरा तक		वी.आर	3.63	2.18

10	सीकर-धोद सड़क से रामबक्सपुरा
11	नागवा से भढकासली
12	बाड़लवास से भीखनवासी
13	मुंडवारा से जाखरों की ढाणी तक
14	खीचरों की ढाणी से करीरो की ढाणी तक
15	नागवा से पेवा तक
16	पेवा से राजपुरा
17	सरवड़ी से पुरनपुरा
18	भीराना से कंवरपुरा वाया जाचास
19	तासर छोटी से मोल्यासी, वाया भैरू जी मंदिर से बालाजी धाम गौशाला तक
20	तासर बड़ी से जगतपुरा
21	किरडोली से पड़ोली छोटी
22	धोद से लाडवा
23	परडोली छोटी से परडोली बड़ी
24	तासर बड़ी से तासर छोटी
25	जीजीपी सांवलोदा पुरोहीतान
26	सीकर से चारणवास भवानीपुरा
27	बिन्जासी से सरवड़ी वाया जस्सुपुरा
28	अनोखू से बिन्जासी
29	पुरणपुरा से भैरूपुरा सुजानपुरा
30	उम्मेद मीणा की ढाणी से मौल्यासी की और ग्राम पंचायत दुगोली
31	सिहोट बडी से रेवासी

वी.आर	0.75	0.45
वी.आर	1.13	0.68
वी.आर	3.60	2.16
वी.आर	6.00	3.60
वी.आर	1.10	0.66
वी.आर	2.00	1.20
वी.आर	2.50	1.50
वी.आर	4.00	2.40
वी.आर	4.40	2.64
वी.आर	6.00	3.60
वी.आर	3.20	1.92
वी.आर	5.40	3.24
वी.आर	6.60	3.96
वी.आर	1.00	0.60
वी.आर	2.23	1.34
वी.आर	1.00	0.60
वी.आर	3.00	1.80
वी.आर	2.80	1.68
वी.आर	3.00	1.80
वी.आर	2.50	1.50
वी.आर	0.75	0.45
वी.आर	2.70	1.62
	150.49	114.89

कुल 31 कार्यों हेतु राशि रु 114.89 लाख (अक्षरे रूपये एक करोड़ चौदह लाख नवासी हजार मात्र) इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2245-02-106-(08)-01-21 द्वारा केन्द्रीय सहायता 75 प्रति. एवं राज्य निधि 25 प्रति. होगा।

आपके द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताओं में से तात्कालिक मरम्मत हेतु प्राथमिकता के अनुसार मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति बाद कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। शर्तें: —

1. उक्त कार्य पीडब्ल्यूएफ एण्ड एफएआर तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
2. स्वीकृत कार्यों को कार्य प्रारम्भ करने के 30 दिवस के भीतर पूर्ण कराना होगा।
3. इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. आपदा राहत निधि मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
5. डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड के अनुबन्धित सड़कों पर कार्य नहीं कराया जावेगा।
6. क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक मरम्मत ही की जावेगी, जो पेचवर्क द्वारा ठीक कराई जा सकती है। अर्थात् नया निर्माण नहीं किया जावे।
7. जिला कार्यालय द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा कार्यों के निरीक्षण बाद यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही भुगतान किया जावेगा कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
8. स्वीकृत सड़कों के लिये विभाग के पास राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग किये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।
9. अन्य शर्तें आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक: एफ.8(08)आ. प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज/18916854 दिनांक 19.11.2025 द्वारा जारी संलग्न है।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक:—सहायता/2025/राजकाज

दिनांक:— यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपी:— सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, सा0नि0वि0 जिला सीकर।
3. संबंधित उपखण्ड अधिकारी /तहसीलदार जिला सीकर।
4. संबंधित अधिशाषी अभियंता सा0नि0वि0 जिला सीकर।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर, सीकर

RajKaj Ref No.:
18943895

eSign DSC

Document certified by MUKUL
SHARMA <sharmanmukul@gmail.com>
Digitally Signed by MUKUL
SHARMA
Designation : District & District
Magistrate
Date :20-11-2025 02:50:34